यूआईडीएसएसएमटी

जल आपूर्ति परियोजनाएँ: प्रक्रिया/तैयारी और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु दिशा निर्देश (डीपीआर)

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) जल आपूर्ति व उपचार के लिए सीपीएचईईओ , शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित मेनुअल में दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए और उसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार भी (नवीनतम प्रकाशन मई 1999 में)। इसके अलावा इसमें निम्न सहायक डेटा भी शामिल होना चाहिए जो की जेएनएनयूआरएम/यूआईडीएसएसएमटी के दिशा निर्देशों के अनुसार दिया गया है।

क. सामान्य:

क्या इस उप-परियोजना पर शहर के समग्र सीडीपी के हिस्से के रूप में विचार किया गया है?

हां /नहीं :

यदि हाँ, तो डीपीआर में निम्नलिखित को शामिल करना चाहिए:

क) 2001 की जनगणना के अनुसार शहर की जनसंख्या, वर्तमान में और भविष्य (डिजाइन) की अवधि के लिए।

ख) शहर की वर्तमान स्थिति जैसे की क्षेत्रफल और जनसंख्या जिसे जल आपूर्ति प्रणाली द्वारा कवर किया जाता है।

ग) वर्तमान की जल आपूर्ति प्रणाली का विस्तृत विवरण जैसे की कुल उत्पादन व आपूर्ति, प्रति व्यक्ति आपूर्ति, हानि आदि। प्रस्तावित जल आपूर्ति परियोजना का औचित्य/आवश्यकता,

घ) क्षेत्र/आबादी जिसे जल आपूर्ति प्रणाली द्वारा कवर किया जाना है

ङ) मिट्टी की विशेषताएँ, स्थलाकृति, शहर का भूविज्ञान आदि

च) अलग-अलग मौसम में भूजल स्तर,

छ) अपशिष्ट जल के निपटान के लिए कार्य योजना

ख. तकनीकी:

क) जल स्रोत(तों) की विश्वसनीयता

चयनित कच्चे-पानी के स्रोत (तों) की विश्वसनीयता को संबंधित राज्य के विभाग द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए ताकि परियोजना निर्धारित डिजाइन अवधि के लिए परियोजना की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित किया जा सके। इस संबंध में सहायक साक्ष्य को

डीपीआर में शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि, स्रोत जैसे की हैंड पंप/नल कूप को इसमें शामिल करने की अनुमति नहीं है क्योंकि पाइप वाली जल आपूर्ति प्रणाली की तुलना में वे अनुपयुक्त व छोटी अवधि के स्थायित्व वाले स्त्रोत हैं।

ख) कच्चे पानी की विश्लेषण रिपोर्ट और उचित उपचार प्रौद्योगिकियां

प्रस्तावित स्रोत के नवीनतम कच्चे पानी के वर्ष के विभिन्न मौसमों के दौरान नमूने की विश्लेषण रिपोर्ट और कच्चे पानी की गुणवत्ता के आधार पर उपयुक्त उपचार के कम लागत वाले विकल्प।

ग) निर्बाध विद्युत आपूर्ति

परियोजना के लिए निर्बाध बिजली की आपूर्ति राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके लिए समर्पित उच्च तनाव वाली फीडर लाइनें प्रदान की जानी चाहिए ताकि प्रणाली को निरंतर संचालित किया जा सके। यदि आवश्यक हुआ , कैप्टिव पावर , अर्थात, डीजल जेनरेटर (डीजी) सेट स्टैंडबाय के रूप में प्रदान किया जा सकता है।

घ) भूमि अधिग्रहण

परियोजना के लिए भूमि की पहचान की जानी चाहिए और उसे लेआउट योजना के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। जहां भी आवश्यक हो भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को अग्रिम में शुरू कर देना चाहिए ताकि अनुमोदन के पश्चात योजना में अनुचित देरी व मुक़दमेबाज़ी से बचा जा सके।

ङ) विस्तृत अनुमान निम्न के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए और इसे परियोजना की रिपोर्ट में डाला जाना चाहिए:

(i) परियोजना क्षेत्र का विस्तार से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और पैमाना दर्शाते हुए एक लेआउट योजना तैयार की जानी चाहिए जिसमें मौजूदा व प्रस्तावित घटकों के अलावा आरएल को भी दर्शाया जाना चाहिए।
(ii) विस्तृत हाइड्रोलिक व इंजीनीयरिंग डिजाइन व सभी घटकों का चित्रांकन जिसमें मानचित्र का संकेतांक, मुख्य योजना, शहर की ले आउट योजना व साथ में भूमि का स्तर।
(iii) परियोजना के विभिन्न घटकों का विस्तृत परिमाणात्मक व लागत का अनुमान जैसे की इंटेक ढांचा/ट्यूब वेल, पंपिंग स्टेशन , मशीनें, कच्चा पानी को लाने वाली मैं पाइप लाइन , जल उपचार संयंत्र, साफ पानी ले जाने वाली मैं पाइप लाइन , सेवा जलाशय, वीरान नेटवर्क आदि जो दरों की नवीनतम सारिणी पर आधारित हों। उचित औचित्य के बिना कोई भी एकमुश्त प्रावधान नहीं किया जाएगा।

(IV) जल ले जाने वाले मुख्य पाइपों व वितरण नेटवर्क प्रणाली को कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की सहायता से तैयार किया जाना चाहिए।

च) उन परियोजनाओं के मामले में जो *विलवणीकरण संयंत्र* हैं व विपरीत परासरण प्रक्रिया पर आधारित हैं निम्न की आवश्यकता होगी:

- विलवणीकरण संयंत्र स्थापित करने के लिए भूमि शहरी स्थानीय निकाय/राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी , जिसके लिए इस योजना के तहत केंद्र से कोई अनुदान नहीं प्रदान किए जाएंगे।
- प्रत्येक घटक के विस्तृत परिमाणात्मक व अनुमानित लागत जैसे की समुद्र से जल लाने वाला मुख्य पाइप, उच्च दबाव वाला पंप , विपरीत परासरण इकाई, साफ पानी का हौद , साफ पानी ले जाने वाली मुख्य पाइप लाइन , सेवा जलाशय ,वितरण नेटवर्क, काम में लिए गए पानी के सुरक्षित निपटान के लिए उपयुक्त उपचार सुविधाएं आदि जो की नवीनतम दरों के आधार पर तैयार किए जाएंगे।
- झिल्लियों को उपयुक्त अंतराल पर बदलने की कारवाई योजना जो डाले गए जल की गुणवत्ता पर और उत्पादित जल जिसमें टीडीएस 500 पीपीएम से कम हो पर निर्भर करेगी व दबाव पंपों को बदलने की व्यवस्था के बारे में भी जो हर 10-15 सालों में बदले जाएंगे।
- राज्य सरकार से धन राशि लेने के तरीके व माध्यम जैसे अनुदान या राजस्व का एक भाग जिसे चक्रित होने वाली राशि के भाग के रूप में रखा जाएगा जो झिल्लियों , दबाव पंपों को बदलने के काम में आयेगा।

छ) डीपीआर में निम्न को भी शामिल किया जाना चाहिए:

- अनुमोदन/अनुमतियाँ:
  - ✓ प्रतिबद्धता/अनुमति/जल मंत्रालय की मंजूरी पानी के आवंटन , उपलब्धता और विश्वसनीयता के लिए संसाधन जो पूरी डिजाइन की अवधि तक चलें यदि जल का स्त्रोत सतही पानी है जो अंतर-राज्य नदियों से लिया गया है।
  - ✓ अन्य मंत्रालयों से लिए गए चालान/ अनुमतियां अर्थात पर्यावरण और वन मंत्रालय, एसपीबीसी/सीपीसीबी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और रेलवे, यदि आवश्यक हो, तो दिये जा सकते हैं।
- जल संरक्षणः
  - ✓ वर्तमान में लिए गए जल संरक्षण के उपाय,छत के वर्षा जल संचयन के उपायों के लिए कार्य योजना, भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और शहरी स्थानीय निकाय द्वारा शोधित/अधिसूचित निर्माण के उपनियम दिये जाने चाहिए।

- ✓ न समझाये जा सकने योग्य बर्बाद किया गया मौजूदा पानी (यूएफ़डबल्यू)/गैर-राजस्व पानी और पानी का रिसाव रोकने और उपचारित पानी के यूएफडबल्यू /अपव्यय को नियंत्रित करने के लिए के लिए उपाय दिए जा सकते हैं।

o टैरिफ, राजस्व और ओ एंड एम

- ✓ योजना की अनुमानित वार्षिक ओ एंड एम
- ✓ वर्तमान जल आपूर्ति प्रणाली का मौजूदा वार्षिक ओ एंड एम व्यय व साथ में पिछले दो-तीन वर्षों में अर्जित राजस्व व साथ में टैरिफ संरचना
- ✓ प्रस्तावित वार्षिक ओ एंड एम व्यय, टैरिफ की संरचना, राजस्व वसूली, ओ व एम के व्यय की लागत वसूली के लिए कार्रवाई की योजना ओ एंड एम व्यय, ऋण और ब्याज की अदायगी,
- ✓ डिजाइन की गई टैरिफ संरचना का लागू करने के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना और यूएलबी का संकल्प।

o संस्था और क्षमता निर्माण

- ✓ पानी की गुणवत्ता की आवधिक निगरानी के लिए डबल्यूटीपी की प्रयोगशाला की स्थापना व प्रयोगशाला के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति
- ✓ संस्थागत क्षमता निर्माण को संबोधित किया जाना चाहिए साथ में ओ एंड एम की जल आपूर्ति प्रणाली की पुस्तिका में दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

ज) डीपीआर में निम्न को भी शामिल करना चाहिए:

- o परियोजना के आईआरआर
- o कार्यान्वयन के लिए पीईआरटी चार्ट
- o पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की रिपोर्ट
- o सुधार एजेंडा
- o सार्वजनिक निजी भागीदारी पहल से संबन्धित मुद्दे, क्षमता निर्माण, सामुदायिक भागीदारी आदि।